FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रवीण पुत्र भेमाराम .... बनाम ....शारदा वगैरह....................................

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. ....156........./सन् 2019

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा ....188........ RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 1 सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 02 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक ..20-8-19..को पेश हो। SDO	577 5-8-19
20/8	वकील वादी उप०। प्रति० को बार बार आवाजें दिलाई गई। नाबालिग लक्ष्मण [illegible] पुकारा) [illegible] के आज [illegible] रहे। आज SDO [illegible] अवकाश पर रहने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 1/10/19 को पेश हो।	
1/10	वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र वास्ते ~~[illegible]~~ पत्रावली दाखिल दफ्तर करने वापिस विड्रोल खारिज करने का पेश करने से प्रा० आज पेश हुआ। वकील वादी ने प्रा० पत्र पेश किया कि वादी एवं प्रति० के बीच राजीनामा हो गया है। दोनों आपस में रिश्तेदार होने एवं भविष्य में मधुर सम्बन्ध बने रहे व आपस में मधुर सम्बन्ध रहे इस बात को ध्यान में रखते हुए वादी अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहता है। वाद दाखिल दफ्तर करने वापिस विड्रोल खारिज करावें। प्रा० पत्र पेश किया है। वकील वादी द्वारा उक्त वाद वापिस विड्रोल खारिज करने का पेश करने से वादी का वाद वापिस विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील माल दाखिल दफ्तर रिकार्ड / अगार भेजा हो। SDO	

Scanned by CamScanner